

झारखंड में बच्चे को गोद लेने के लिये सविलि सर्जन से लेनी होगी मंजूरी

चर्चा में क्यों?

1 जनवरी, 2023 को झारखंड बालगृह एवं दत्तक ग्रहण संस्था करुणा एनएमओ से मली जानकारी के अनुसार राज्य दत्तक ग्रहण नियमावली-2022 के नियम-37 के अनुसार, ज़िला अस्पताल प्रबंधन की ओर से प्रमाण-पत्र नरिगत करना अनिवार्य कथिा गया है, जसिमे अब बच्चे को गोद लेने के लिये सामाजिक संस्था और लोगों को सविलि सर्जन से अनुमति लेनी होगी।

प्रमुख बदि

- नियम के अनुसार, अगर कसिी परिचिति, नर्सगि होम, अस्पताल या कसिी एनजीओ से बच्चे की सूचना मलिती है, तो उसके आधार पर आप बच्चे को गोद नहीं ले सकते हैं। इसके तहत सविलि सर्जन द्वारा बनाया गया मेडिकल बोर्ड पहले बच्चे को देख-समझकर उसका भौतिक सत्यापन (फजिकल टेस्ट) करेगा कबिच्चा सामान्य कैटेगरी का है या फरि वशिष।
- गौरतलब है कऱराज्य की बालगृह एवं दत्तक ग्रहण संस्था करुणा एनएमओ ने सविलि सर्जन कार्यालय को पत्र लिखकर दशिा-नरिदेश के अनुरूप प्रमाणपत्र नरिगत करने का आग्रह कथिा है। ऐसे में कोई भी परिवार अगर कसिी बच्चे को गोद लेना चाहता है, तो उन्हें इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधकिरण (सीएआरए) ने 11 अक्टूबर, 2022 को इस मामले में स्पष्ट दशिा-नरिदेश जारी कथिा था।
- यह संस्था मुख्य रूप से अनाथ, छोड़ दिये गए और आत्मसमर्पण करने वाले बच्चों को गोद दिलाने के लिये काम करती है।
- ज्ञातव्य है कऱवर्तमान में देश में लगभग तीन करोड़ 10 लाख अनाथ बच्चे हैं, लेकिन जटलि कानूनी प्रक्रिया के कारण पछिले पाँच सालों में सरिफ 16,353 बच्चों को ही गोद लथिा जा सका है।